न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 134/2024 G.C.M.S. No. 2024/580 दर्ज दिनांक : 24.12.2024

अपीलार्थी:

मगाराम पुत्र धुलारामजी, जाति मीणा, निवासी बोया, तहसील बाली, जिला पाली (राज.)

बनाम

प्रत्यर्थी:

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 2024/318 बअनवान मगाराम बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 09.12.2024

पैरोकार:–

1. श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 15.10.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 2024/318 बअनवान मगाराम बनाम सरकार वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 09.12.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने एक आवेदन धारा 251–ए राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया था कि ग्राम सेवाड़ी के खसरा नम्बर 3147/2 अपीलाण्ट के खातेदारी की कृषि भूमि है, जिसमें आने जाने हेतु स्थायी और रेकर्डेड कोई रास्ता नहीं है। अपीलाण्ट अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु ग्राम सेवाड़ी के खसरा नम्बर 3147 की भूमि में से रास्ते के रूप में अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन के संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित भूमि का उपयोग, उपभोग कर रहा है, जिसे रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने एवं तरमीम करने हेतु उपरोक्त आवेदन पेश किया गया था। आवेदन दर्ज कर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार बाली से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मंगवाई गई, जो जांच रिपोर्ट दिनांक 12.11.2024 को अधीनस्थ न्यायालय में पेश हुई, जिसमें यह प्रमाणित पाया गया कि अपीलाण्ट की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं अपीलाण्ट उपरोक्त खसरा नम्बर 3147 की भूमि में से ही नजरी नक्शे में दर्शित अनुसार रास्ते का उपयोग कर रहा है, अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता होना नहीं पाया गया एवं रास्ता दिये जाने की अनुशंषा की गई। उपरोक्त समस्त स्थिति रेकर्ड पर उपलब्ध होने तथा आदेश में वर्णित होने के बाद भी केवल मात्र इस आधार पर अपीलाण्ट के आवेदन को खारिज कर दिया कि अपीलाण्ट अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 3147 की सिवाय चक भूमि का निर्विवाद उपयोग करता आ रहा है, इसलिए उसे रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता सिद्ध नही होती है और आवेदन स्वीकार करने से सिवाय चक रकबा कम हो जाएगा, उक्त आधार अवैध, अनुचित एवं कानून के विपरीत है, क्योंकि सिवाय चक भूमि में से रास्ता दिये जाने से सिवाय चक भूमि कम नही होगी, क्योंकि रास्ता भी सरकारी ही होता है और वह भी सिवाय चक भूमि ही कहलाती है. ऐसी स्थिति में रास्ता देने से सिवाय चक भूमि का रकबा कम नहीं होगा, फिर भी केवल आवेदन को बिना माईण्ड एप्लाई किये ही जानबूझकर आवेदन को खारिज करने की मंशा से ही जैर अपील आदेश पारित किया है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी खातेदारी भूमि की पहुंच तक रेकर्डेड रास्ता प्राप्त करने का विधिनुसार अधिकार है, चाहे वह भूमि खातेदारी की हो अथवा सरकारी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बाजार दर से दुगुनी राशि अदा कर रास्ता लिया जाता है, इसलिए इससे न तो सरकार को हानि होती है न ही निजी खातेदार को हानि होती है। हस्तगत मामले में यह प्रमाणित है कि अपीलाण्ट को अपनी जोत में जाने हेतु कोई रेकर्डेड व वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है और सबसे नजदीक रास्ता यही है, फिर भी बिना किसी विधि के आधार पर आवेदन को खारिज करने की मंशा ही खारिज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो अवैध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायें तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमावें तथा अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत् आदेश पारित फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलाण्ट ने अपनी खातेदारी भूमि ग्राम सेवाड़ी के खसरा नम्बर 3147/2 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 3147 में से रास्ता दिलाने हेतु अधीनस्थन न्यायालय में प्रार्थना पत्र पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 09.12.2024 द्वारा खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अपील अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गयी।
2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि के खसरा नम्बर 3147/2 में आवागमन के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायकचक भूमि के खसरा नम्बर 3147 में से 15 फीट चौडा रास्ता चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में भू–अभिलेख निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया, जिससे सिद्ध होता है कि अपीलाण्ट प्रार्थी अपनी उक्त आराजी में आने हेतु इसी खसरा नम्बर 3147 की सिवायचक भूमि का निर्विवाद उपयोग करता आ रहा है।
3. धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं नियम 69 में यह सारवान व आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता की मांग आत्यंतिक होनी चाहिए तथा काश्तकार के लिए पहुंच मार्ग का अभाव सिद्ध होना चाहिए। चूंकि अपीलाण्ट प्रार्थी द्वारा राजकीय सिवायचक गै.मु. मगरी से रास्ते की मांग की गयी है तथा जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रार्थी अपीलाण्ट उक्त आराजी में से ही आवागमन कर रहा है। अर्थात् प्रार्थी के लिए पहुंच मार्ग का कोई अभाव नहीं है तथा रास्ता की आत्यंकित आवश्यकता नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी इसी आधार पर अपीलाण्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, जो हमारे विन्रम मत में पूर्णतयाः विधिसम्मत व उचित है।
4. अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने एवं अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से अपीलाण्ट अपील खारिज करते हुए अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाली द्वारा प्रकरण संख्या 2024/318 बअनवान मगाराम बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 09.12.2024 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **15.10.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner